संयुक्त प्रान्त सिविल न्यायाधीश (पदाभिधान) अधिनियम, 1936

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, 1936)

THE UNITED PROVINCES CIVIL JUDGES (DESIGNATION) ACT, 1936

(U.P. Act No. IV of 1936)

संयुक्त प्रान्त सिविल न्यायाधीश (पदाभिधान) अधिनियम, 1936

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0 04, 1936]

एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

[संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध की लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित]

[संयुक्त प्रान्त के गवर्नर ने 11 जुलाई, 1936 तथा गवर्नर जनरल ने 7 अगस्त, 1936 को स्वीकृत प्रदान की तथा गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा 81 के अधीन 15 अगस्त, 1936 को प्रकाशित हुआ।]

उस पद के जो अब तक अधीनस्थ न्यायाधीश का पद कहा जाता रहा है, पदाभिधाने में परिवर्तन करने के लिये।

अधिनियम

प्रस्तावना

यह निश्चय किया गया है कि वह पद जो अब तक "अधीनस्थ न्यायाधीश" का पद कहा जाता रहा है, भविष्य में "सिविल न्यायाघीश" का पद कहलायेः

और यह इष्टकर है कि उक्त पद के पदाभिधान में इस प्रकार किए गए परिवर्तन को मान्यता दी जाय और उसे प्रभावी बनाया जायः

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त सिविल न्यायाधीश (पदाभिधान) अधिनियम, 1936 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार [उत्तर प्रदेश][1] में होगा।

(3) इसका प्रवर्तन ऐसे दिनांक से होगा जिसे [राज्य सरकार][2] गजट में अधिसूचना[3] द्वारा तदर्थ नियत करें।

1887 के ऐक्ट सं0 12 का संशोधन

2–बंगाल, आगरा और आसाम कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 और 36 में उसके [उत्तर प्रदेश][1] में लागू होने के संबंध में शब्द *"Subordinate"* के स्थान पर शब्द *"Civil"* प्रतिस्थापित किया जाय।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, 1925 का संशोधन

3–अवध कोर्ट्स एक्ट, 1925 की धारा 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40 और 44 में शब्द *"Subordinate"* के स्थान पर शब्द *"Civil"* प्रतिस्थापित किया जाय।

अन्य अधिनियमों का संशोधन

4–अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम एतद्द्वारा, उस विस्तार तक और उस रीति से जो उसके द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित है, संशोधित किये जाते हैं।

व्यावृत्ति

5–सिविल न्यायाधीश का पद समस्त प्रयोजनों के लिये अधीनस्थ न्यायाधीश के पद से निम्नतर नहीं समझा जायगा।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविसेज) के लिये प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित।
3. विज्ञिप्ति सं0 1724–सात–243, दिनांक 29 अगस्त, 1936 के अन्तर्गत यह अधिनियम दिनांक 7 सितम्बर, 1936 से प्रभावी हुआ।

अनुसूची

संशोधन

(धारा 4 देखिए)

1	2
संक्षिप्त नाम	**संशोधन**
लीगल प्रैक्टिनर्स, 1879	द्वितीय अनुसूची के खण्ड (घ) और (झ) में शब्द *"Subordinate"* के स्थान पर शब्द *"Civil"* प्रतिस्थापित किया जाय।
यूनाईटेड प्राविंसेज टाउन इंप्रूवमेंट ऐक्ट, 1919	धारा 59 की उपधारा 2 के खण्ड (क) में शब्द *"Subordinate Judge of the first grade"* के स्थान पर शब्द *"Civil Judge"* प्रतिस्थापित किया जाये।